रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1358] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 9, 2019/चैत्र 19, 1941
No. 1358] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 9, 2019/CHAITRA 19, 1941

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 अप्रैल, 2019

का.आ. 1537(अ).—केंद्र सरकार आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतदद्वारा कर्नाटक सरकार द्वारा गठित बोर्ड "मैसूर पैलेस बोर्ड" कर्नाटक, को उक्त खण्ड के प्रयोजनार्थ उस बोर्ड को होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में अधिसूचित करती है, नामतः-

(क) राजभवन (पैलेस) से आय या बोर्ड में निहित किसी भी संपत्ति से प्राप्त राशि

(ख) मैसूर पैलेस (अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1998 और बोर्ड निधि का भाग बनने के तहत बोर्ड द्वारा लगाई गई सभी फीस और प्रभार;

(ग) सरकारी एजेंसियों को दिए गए छोटी दुकानों (स्टालों) से प्राप्त किराया; और

(घ) उपरोक्त (क) से (ग) पर अर्जित ब्याज।

2. यह अधिसूचना इन शर्तों के अध्यधीन प्रभावी होगी कि मैसूर पैलेस बोर्ड, कर्नाटक

(क) किसी भी वाणिज्यिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा;

(ख) विनिर्दिष्ट आय की प्रकृति तथा गतिविधियां पूरे वित्त वर्ष के दौरान अपरिवर्तित रहेगी; तथा

(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उपधारा - 4(ग) के खंड (छ) के प्रावधान के अनुसार आय की विवरणी दायर करेगा।

3. यह अधिसूचना कर निर्धारण वर्ष 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 और 2023-2024 के संबंध में लागू होगी।

[अधिसूचना सं. 33 /2019/फा. सं.300196/63/2018-आईटीए-I]

राजाराजेश्वरी आर, अवर सचिव

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.